अध्याय 9

पर्यावरणीय गतिविधियों की निगरानी

9.1 पर्यावरण प्रबंधन सैल

विभिन्न वैधानिक निकायों से विभिन्न अनापित और अनुमित प्राप्त करने के बाद एक खान शुरू की जा सकती है। जब खनन कार्यकलाप आरंभ किऐ जाते हैं, कई प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों और अन्य कार्यकलापों को ईएमपी, ईसी, एफसी और सीटीई और सीटीओ के अनुसार किये जाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपालन तंत्र पूर्ण और प्रभावी ढंग से परिचालित है, यह जरूरी है कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक शमन उपायों की निगरानी विभिन्न स्तरों पर हो। इस संदर्भ में पर्यावरण प्रबंधन सैल एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9.1.1 एमओईएफएंडसीसी, परियोजना को ईसी देते हुए, एक अलग पर्यावरण प्रबंधन सैल को स्थापित करे (ईएमसी) जिसमें अहर्ता प्राप्त कार्मिक हों जो सीधे मुख्यालय को रिपोर्ट करें। तदनुरूप सीआईएल और अनुषंगियों ने ईएमसी की स्थापना की।

सीआईएल में, हमने पाया कि 2013-18 की अविध के दौरान मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती संस्वीकृत संख्या से अधिक थी जबिक खदानों में यह संख्या कम थी, इसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 18: सीआईएल मुख्यालय तथा एनईसी खदानों में अधिकारियों की तैनाती

वर्ष	सीआईएल मुख्यालय		एनईसी खदान ⁵⁴		कुल		स्वीकृत संख्या की तुलना में प्रतिशत आधिक्य/ कमी (-)	
	संस्वीकृत संख्या	तैनात	संस्वीकृत संख्या	तैनात	संस्वीकृत संख्या	तैनात	मुख्यालय	खदान
2013-14	5	7	2	0	7	7	40	(-)100
2014-15	5	6	3	2	8	8	20	(-)33
2015-16	5	6	3	2	8	8	20	(-)33
2016-17	5	8	3	1	8	9	60	(-)67
2017-18	5	11	3	2	8	13	120	(-)33

⁵³ इसी की शर्तों के अन्सार कार्यपालक के रूप में तैनात योग्य कार्मिक।

⁵⁴ सीआईएल के नियंत्रण में पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स की 4 खदानें

उपर्युक्त से, यह प्रमाणित होता है कि सीआईएल मुख्यालय में तैनाती विषम थी। जबिक अधिकतर तैनाती सीआईएल मुख्यालय में पाई गई, एनईसी खदानों में अधिकारियों की उल्प तैनाती हुई।

सीआईएल ने (नवम्बर 2018) अधिकारियों की तैनाती को अपने मुख्यालय में स्वीकृत तादाद से ज्यादा उचित पाया जिसका कारण काम की गुंजाइश है जो कि समय के साथ बढ़ गई है और वृत्ति भोगी को और भी काम सौंपा गया है जो कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है। यह प्रत्युत्तर इस तथ्य को साबित करता है कि सीआईएल अपनी जनशक्ति की आवश्यकताओं के लिए गित को अपनी बढ़ती ज़िम्मेदारियों और स्वीकृत तादाद का पूनर्मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, खदानों/परियोजनाओं में श्रमबल की हमेशा कमी थी और वह कार्यक्षेत्र में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी, इस प्रकार पर्यावरणीय गितविधियों की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

9.1.2 हमने सीआईएल की सात अनुषंगियों में पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए श्रमबल की तैनाती में विसंगतियां पाई जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 19: मुख्यालय की अनुषंगी और खदान में अधिकारियों की तैनाती (मार्च 2018)

丣.	अनुषंगी	स्वीकृत श्रमबल			वास्तविक तैनाती				अधिक
सं. सं.		मुख्यालय	खदान	कुल	मुख्यालय	खदान	कुल	अंतर⁵⁵	तैनाती का प्रतिशत
1	बीसीसीएल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	12	27	39	-	-
2	सीसीएल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	29	8	13	21	(8)	_
3	ईसीएल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	33	9	21	30	(3)	-
4	एमसीएल	3	32	35	9	41	50	15	43
5	एनसीएल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5	8	17	25	20	400
6	एसईसीएल	8	17	25	5	25	30	5	20
7	डब्ल्यूसीएल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10	11	21	32	22	220

-

⁵⁵ कोष्ठक में आंकड़े परिनियोजन में कमी का संकेत देते हैं

जबिक बीसीसीएल ने मुख्यालय या खदानों में अपनी पर्यावरणीय गितविधियों के लिए अपेक्षित अधिकारियों की स्वीकृत संख्या का मूल्यांकन और निर्धारण नहीं किया, चार अन्य अनुषंगी कंपनियों ने खदानों में तैनाती के लिए अपेक्षित अधिकारियों की संख्या का आकलन नहीं किया। मुख्यालय और खदानों के लिए अलग से स्वीकृत संख्या एमसीएल और एसईसीएल में उपलब्ध थी। एमसीएल में मुख्यालय (9) और खदानों में अधिकारियों की तैनाती (41) संबंधित स्वीकृत संख्या से क्रमशः 200 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से अधिक है। एसईसीएल में, मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती (5) स्वीकृत संख्या से 38 प्रतिशत कम हो गई, जबिक खदानों (25) में यह स्वीकृत संख्या से 47 प्रतिशत से अधिक हो गया। चार अनुषंगियों में अधिकारियों की कुल अतिरिक्त तैनाती उनकी स्वीकृत संख्या के 20 प्रतिशत से 400 प्रतिशत के बीच थी। ये इस तथ्य का संकेत है कि अनुषंगियों ने भी अपने श्रमबल आवश्यकताओं का तर्कसंगत रूप से निर्धारण नहीं किया और ईएमसी में श्रमबल की तैनाती के लिए कोई एक समान नीति नहीं थी।

अनुषंगियों ने कहा (अक्टूबर/नवंबर 2018) कि पर्यावरण विभाग के तहत कार्य बहु-विषयक प्रकृति के थे और इसलिए अन्य क्षेत्रों के श्रमबल का उपयोग किया गया था। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पर्यावरण विभाग की स्वीकृत संख्या को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता थी। अनुषंगियों ने आगे कहा (नवंबर 2018) कि स्वीकृत संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आगे के उत्तर प्रतीक्षित हैं। (नवंबर 2018)।

9.2 पर्याप्त निगरानी तंत्र का अभाव

एमओईएफएंडसीसी ने अपनी ईसी शर्तों के माध्यम से समय-समय पर यह निदेश दिया कि अनुषंगियों को उचित नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग प्रणाली की आवश्यकता है।

⁵⁶ सीसीएल, ईसीएल, एनसीएल और डब्ल्यूसीएल

2019 की प्रतिवेदन सं. 12

एमसीएल और एनसीएल के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि खदानों से लिए गए नमूनों के आधार पर सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों को अनुषंगी मुख्यालय और संबंधित क्षेत्र कार्यालयों को भेज दिया गया था। रिपोर्ट में पाए गए किसी असामान्य विचलन के मामले में सहायक मुख्यालय द्वारा आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित क्षेत्र कार्यालय को आवश्यक अनुदेश दिए गए थे। तथापि, सीएमपीडीआईएल की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए ऐसे रिकार्ड सीआईएल की अन्य अनुषंगियों की लेखापरीक्षा हेतु अनुपलब्ध थे।

हमने यह भी पाया कि वायु और जल से संबंधित गुणवत्ता मानकों की पाक्षिक आधार पर निगरानी करते समय, सीएमपीडीआईएल द्वारा रिपोर्टें तैयार की गई थीं और तिमाही⁵⁷ आधार पर अनुषंगी कंपनियों को सूचित की गई थीं, जिससे दर्ज की गई प्रतिकूल तिमाही रीडिंग के आधार पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं बची।

हमने यह भी पाया कि पर्यावरणीय कार्यकलापों के मूल्यांकन के लिए पर्यावरण विभाग की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ अनुषंगियों में प्रभावी कई अच्छी पद्धतियों को अन्य अनुषंगी कम्पनीयों द्वारा अपनाया नहीं गया। इसके अतिरिक्त, सीआईएल द्वारा अनुषंगियों पर और खदानों में सहायक मुख्यालय द्वारा श्रमबल तैनाती, परियोजना की निगरानी और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों का पालन करने का सामान्य पर्यवेक्षण भी एक समान और प्रभावी नहीं पाया गया।

हमने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पालन, कार्यों के निष्पादन, चिन्हित खतरों के शमन और सुरक्षा उपायों के संबंध में निगरानी तंत्र में कमियाँ पाई, जैसा कि पैरा 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.10 और 6.2 में चर्चा की गई है।

-

⁵⁷ एमसीएल में, यह मासिक आधार पर है।

लेखापरीक्षा सार

सभी वर्षों में सीआईएल मुख्यालयों में अधिकारियों की तैनाती स्वीकृत संख्या से अधिक थी लेकिन यह 2013-18 की अविध के दौरान खदानों में कम हो गई। अनुषंगियों में भी पर्यावरणीय कार्यकलापों के लिए श्रमबल की तैनाती में विसंगतियां थीं। इसके अतिरिक्त, यद्यिप वायु और जल से संबंधित गुणवत्ता मानकों की पाक्षिक आधार पर निगरानी की जा रही थी, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थीं और तिमाही आधार पर अनुषंगियों को सूचित की गई थीं, जिससे दर्ज किए गए प्रतिकूल पाक्षिक रीडिंग के आधार पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने की गुंजाइश नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सीआईएल द्वारा अनुषंगियों पर और सहायक अधिकारियों द्वारा श्रमबल नियोजन, परियोजना की निगरानी और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के पालन के क्षेत्र में खदानों पर प्रयोग किए जाने वाले सामान्य पर्यवेक्षण भी एक समान और प्रभावी नहीं पाया गया।